

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण सं०-195/2019

1. प्रत्यक्ष चाहर } पि० अमित चाहर जाति जाट नावालिंग जरिये कुदरती बली माता
2. गणेशिता चौधरी } ममता पत्नी अमित चाहर जाति जाट निवासी पीरकामड़िया।

वादीगण


बनाम्

1. अनित चाहर पुत्र देवीलाल } कौम जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
2. देवीलाल पुत्र हजारीलाल } जिला हनुमानगढ।
3. सरोज देवी पत्नी पृथ्वी सिंह पुत्री हजारीलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया हाल
हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. शारदा कुमारी पत्नी हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी हाउस नं० 2 आई टी.आई मार्ग
रानियां रोड सिरसा।
5. प्रोनोला पत्नी निरकार जाति जाट निवासी अमीयावाली तहसील व जिला सिरसा।
6. नोतू बैनोवाल पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी दौलतपुरा, मिर्जेवाला तहसील व
जिला श्रीगंगानगर।
7. शालू पत्नी मनीष कुमार जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्टई रोबलु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीया सं० 3 सरोजदेवी के नाम से चकनं० 12 एफटीपी बी के खाता सं० 156/122 में कुल 12.650 है० कृषि भूमि के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार कारतकार घोषित किये जाकर चकनं० 12 एफटीपी बी के खाता सं० 156/122 ने से प्रतिवादीया सं० 3 सरोज देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के नव शुद वा चरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तकअदा करें।

बसबत नेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...०२...०८...२०१९.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी